बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय प्रथम तल, अवस्थी कॉम्पलेक्स, डीएम चौराहा के पास, हरदोई-241001 (उ.प्र.) फोन नं. 05852-297603

मांग सूचना सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत

जैसा कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा जो कि बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत अधिकारी हैं तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी कर यहां नीचे सूचीबद्ध ऋणियों/जमानतकर्ताओं को नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार सम्बन्धित सूचनाओं की तिथि के 60 दिनों के अन्दर एक सम्बन्धित मांग सूचना/सूचनाओं में वर्णित राशि वापस लौटाने के लिए कहा गया था। अधोहस्ताक्षरी ने निम्न ऋणधारकों को पंजीकृत डाक द्वारा भिजवाया गया था पर वह बिना डिलीवरी वापस लौट आई। उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः ऋणियों/जमानतकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे नीचे वर्णित तिथि में भुगतान एवं सूचना में वर्णित लागू होने योग्य दरों पर आगे के ब्याज के साथ यहां नीचे दर्शायी गई राशि का सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अन्दर बैंक ऑफ इंडिया, निम्नलिखित शाखाओं को भुगतान करें।

क्र. सं.	ऋणी/जमानतकर्ताओं के नाम मांग सूचना राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
	शाखा : सण्डीला, स्टेशन रोड, सण्डीला हरदोई, 241204, फोन नं.-05854-271053	
1.	ऋणी : **1. मै. शर्मा एण्ड कम्पनी** **पता** :–निकट पावर हाउस, हरदोई रोड, सण्डीला, परगना व तहसील सण्डीला, जिला हरदोई 241204 **2. श्री अरविन्द कुमार शर्मा** पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा (प्रोपराइटर मै. शर्मा एण्ड कम्पनी)। **पता** :–270 बी, मोहल्ला निचला मलकाना सण्डीला, परगना व तहसील सण्डीला, जिला हरदोई 241204 **3. श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा** पुत्र श्री केदारनाथ (गारंटर) **पता** :–मकान नं. 33, निचला मलकाना, सण्डीला, परगना व तहसील सण्डीला जिला हरदोई 241204 **रु. 11,36,121.80** **(रुपये ग्यारह लाख छत्तीस हजार एक सौ इक्कीस पैसे अस्सी केवल+ब्याज + अन्य खर्चे)**	ए) मै. शर्मा एण्ड कम्पनी के नाम से पावर हाउस के निकट, हरदोई रोड, सण्डीला परगना व तहसील सण्डीला, जिला हरदोई 241204 में पड़े हुए स्टॉक का समस्त भाग। बी) भूमि व भवन स्थित खसरा सं. 388 का भाग, अशरफ टोला, सण्डीला, परगना व तहसील सण्डीला, जिला हरदोई 241204 **बंधककर्ता / स्वामी** : श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा पुत्र केदारनाथ **क्षेत्रफल** : 118 वर्गमी. **सीमायें** :– **पूर्व**–रास्ता 14 फिट चौड़ा, **पश्चिम**–राजाराम और कृष्ण कुमार का खेत, **उत्तर**–रामभजन शर्मा का प्लाट, **दक्षिण**–विक्रेता का खेत।
2.	**1. मै. एस.एस. किंग** **पता** :–गाटा सं. 374 का मी बेगमगंज, सण्डीला लखनऊ रोड, निकट गिरजा बाबू पेट्रोल पम्प, परगना व तहसील सण्डीला, जिला हरदोई 241204 **2. श्री शाह फैज खान** पुत्र शमीमुल हसन खान (प्रोपराइटर मै. एस.एस. किंग) **पता** :–वार्ड सं. 21, ऊपरी महतवाना, सण्डीला परगना व तहसील सण्डीला, जिला हरदोई 241204 **रु. 15,15,176.00** **(रुपये पन्द्रह लाख पन्द्रह हजार एक सौ छिहत्तर केवल + ब्याज + अन्य खर्चे)**	ए) गाटा सं. 374 का मी ग्रा. बेगमगंज, सण्डीला लखनऊ रोड निकट गिरजा बाबू पेट्रोल पम्प, परगना व तहसील सण्डीला, जिला हरदोई 201204 पर पड़े हुए स्टॉक का समस्त भाग। बी) भूमि व भवन स्थित गाटा सं. 374 का मी ग्रा. बेगमगंज, सण्डीला, परगना व तहसील सण्डीला, जिला हरदोई 241204 **बंधककर्ता / स्वामी** –श्री शाहफैज खान पुत्र शमीमुल हसन खान। **सीमायें** :– **पूर्व**–लक्ष्मी देवी का मकान, **पश्चिम**–गिरजा शंकर दीक्षित पेट्रोल पम्प, **उत्तर**–विक्रेता का प्लाट, **दक्षिण**–लखनऊ–हरदोई रोड।
3.	**1. मै. लैदर उद्योग** **पता** :–ग्राम बीबीपुर, पोस्ट–मीरनगर अजिगवां, परगना व तहसील सण्डीला, जिला हरदोई 241204 **2. श्रीमती माधुरी मौर्य** पत्नी सर्वेश कुमार मौर्य (प्रोपराइटर मै. लैदर उद्योग) **पता** :–1) ग्रा. बीबीपुर, पोस्ट–मीरनगर अजिगवां, परगना व तहसील सण्डीला, जिला हरदोई 241204 2) सिद्धार्थ नगर, महतवाना, सण्डीला, हरदोई 241204 **रु. 22,21,551.00** **(रुपये बाईस लाख इक्कीस हजार पाँच सौ इक्यावन केवल +ब्याज + अन्य खर्चे)**	ए) गाटा सं. 127 खा. ग्रा. बीबीपुर, पोस्ट–मीरनगर अजिगवां, परगना व तहसील सण्डीला, जिला हरदोई पर पड़े हुए स्टॉक का समस्त भाग जो कि लैदर उद्योग के नाम है। बी) भूमि व भवन स्थित गाटा सं. 127 खा. ग्रा. बीबीपुर, पोस्ट–मीरनगर अजिगवां, परगना व तहसील सण्डीला, जिला हरदोई। **बंधककर्ता / स्वामी** : श्रीमती माधुरी मौर्य पत्नी सर्वेश कुमार मौर्य **क्षेत्रफल** : 380 वर्गमी. **सीमायें** :– **पूर्व**–सड़क, **पश्चिम**–गया प्रसाद का खेत, **उत्तर**–तोताराम का खेत, **दक्षिण**–गंगा राम प्रसाद का खेत।
4.	**1. श्रीमती माधुरी मौर्य** पत्नी सर्वेश कुमार मौर्य (ऋणी) **पता** :–1) ग्रा. बीबीपुर, पोस्ट–मीरनगर अजिगवां, परगना व तहसील सण्डीला, जिला हरदोई 241204 2) सिद्धार्थ नगर, महतवाना, सण्डीला, हरदोई 241204 **2. श्री सर्वेश कुमार मौर्य** पुत्र चन्द्रिका प्रसाद (सह–ऋणी) **पता** :–1) ग्रा. बीबीपुर, पोस्ट–मीरनगर अजिगवां, परगना व तहसील सण्डीला, जिला हरदोई 241204 2) सिद्धार्थ नगर, महतवाना, सण्डीला, हरदोई 241204 **रु. 8,74,556.00** **(रुपये आठ लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ छप्पन केवल + ब्याज + अन्य खर्चे)**	भूमि व भवन स्थित मोहल्ला महतवाना, सण्डीला, परगना व तहसील सण्डीला, जिला हरदोई 241204 **बंधककर्ता / स्वामी**–1. श्रीमती माधुरी मौर्य पत्नी सर्वेश कुमार मौर्य। **क्षेत्रफल**–51.25 वर्गमी. **सीमायें** :– **पूर्व**–छंगा का मकान, **पश्चिम**–रामचन्द्र का मकान, **उत्तर**–रास्ता 1.5 मी. चौड़ा खरंजा, **दक्षिण**–रामपाल का मकान।
5.	**1. वासु ट्रेडर्स** **पता** :–मोहल्ला गाड़ी अड्डा अशरफ टोला, सण्डीला जिला हरदोई 241204 **2. श्री प्रदीप कुमार गुप्ता** पुत्र स्व. मूल चन्द्र गुप्ता (प्रोपराइटर मै. वासु ट्रेडर्स) **पता** :–ऊपरी अशरफ टोला, सण्डीला जिला हरदोई 241204 **3. श्री संतोष कुमार** पुत्र मूलचन्द्र (गारंटर) **पता** :–ऊपरी अशरफ टोला, सण्डीला जिला हरदोई 241204 **रु. 11,38,536.85** **(रुपये ग्यारह लाख अड़तीस हजार पाँच सौ छत्तीस पैसे पिच्यासी केवल + ब्याज + अन्य खर्चे)**	ए) मोहल्ला गाड़ी अड्डा अशरफ टोला, सण्डीला, जिला हरदोई 241204 पर पड़े हुए वासु ट्रेडर्स के स्टॉक का समस्त भाग। बी) भूमि व भवन स्थित मोहल्ला अशरफ टोला, सण्डीला जिला हरदोई 241204 **बंधककर्ता / स्वामी** : श्री प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र स्व. मूल चन्द्र गुप्ता। **क्षेत्रफल**–25.60 वर्गमी. **सीमायें** :– **पूर्व**–संजय गुप्ता का मकान, **पश्चिम**–विक्रेता का प्लाट 14.5 गुणा 19 फिट, **उत्तर**–सुरेश का मकान, **दक्षिण**–आरसीसी रोड।
6.	**1. मै. शराफत साईकिल स्टोर** **पता** :–उन्नाव रोड, सण्डीला, तहसील सण्डीला, जिला हरदोई 241204 **2. श्री शराफत अली** पुत्र माजिद अली (प्रोपराइटर मै. शराफत साईकिल स्टोर) **पता** :–मकान सं. 65, ऊपरी मलकाना महतवाना, सण्डीला, परगना व तहसील सण्डीला जिला हरदोई **3. श्री शहजाद अली** पुत्र शराफत अली (गारंटर) **पता** :–मकान सं. 65, ऊपरी मलकाना महतवाना, सण्डीला, परगना व तहसील सण्डीला जिला हरदोई **4. श्री अरविन्द कुमार शर्मा** पुत्र ओम प्रकाश शर्मा (गारंटर) **पता** :–मोहल्ला मलकाना, सण्डीला, परगना व तहसील सण्डीला, जिला हरदोई 241204 **रु. 19,09,587.00** **(रुपये उन्नीस लाख नौ हजार पाँच सौ सत्तासी केवल + ब्याज + अन्य खर्चे)**	ए) उन्नाव रोड, सण्डीला, तहसील सण्डीला जिला हरदोई 241204 पर मै. शराफत साइकिल स्टोर के पड़े हुए स्टॉक का समस्त भाग। बी) भूमि व भवन स्थित मोहल्ला मलकाना अन्दर एन.पी.पी. सण्डीला, तहसील सण्डीला, जिला हरदोई 241204 **बंधककर्ता / स्वामी** : 1. श्री शराफत अली पुत्र माजिद अली **क्षेत्रफल**–91.10 वर्गमी. **सीमायें** :– **पूर्व**–खरंजा, **पश्चिम**–प्लाट व मकान सलीमुद्दीन, **उत्तर**–मकान रहीमबख्श, **दक्षिण**–मकान मुमताज व अन्य।

यदि उक्त ऋणियों/जमानतकर्ताओं के द्वारा बैंक को उपरोक्त भुगतान करने में विफल होते हैं तो इस अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू होने योग्य नियमों के अंतर्गत लागतों एवं परिणामों के संदर्भ में उक्त ऋणियों/जमानतकर्ताओं को सम्पूर्ण जोखिम पर उक्त प्रतिभूत सम्पत्तियों के प्रति बैंक आगे की कार्यवाही करेगा। संबंधित ऋणियों/जमानतकर्ताओं एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कथित परिसम्पत्ति में लेन देन ना करें तथा यदि इसमें कोई लेन–देन किया जाता है, ऋणियों/जमानतकर्ताओं के विरुद्ध देय राशि हेतु बैंक ऑफ इण्डिया के प्रभार के अधीन होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत बैंक ऑफ इण्डिया की पूर्व लिखित सहमति के बिना ऋणधारक बिक्री/पट्टा अथवा अन्य रूप से उपरोक्त परिसम्पत्तियों को अंतरण नहीं कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन करने पर इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत दण्ड हो सकता है।

दिनांक : 25.02.2023 **स्थान : सण्डीला** **प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इण्डिया**

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला

मेरठ, 1 मार्च (जनसत्ता)।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष पर बुधवार को परिसर में लाठी–डंडों के साथ फायरिंग की गई। करीब छह से ज्यादा नकाबपोश हमलावरों के जानलेवा हमले में छात्र नेता हंस चौधरी घायल हो गए है, जिनको मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच में जुटी है।

सर्किल आफिसर अरविंद चौरसिया ने बताया की तहरीर के आधार पर थाना मेडिकल में मुकदमा कायम कर लिया गया है। हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है। विश्वविद्यालय में एक छह सदस्य की टीम नैक निरीक्षण के लिए आ रही है। बुधवार को दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे है।

पुलिस के मुताबिक हंस चौधरी गाजियाबाद के मुरादनगर का रहने वाला है। वह मास्टर आफ सोशल वर्क का द्वितीय वर्ष का छात्र है। हंस ने कानून की शिक्षा भी इसी विश्वविद्यालय से पूरी की है। वर्ष 2018 में वह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में उपाध्यक्ष चुना गया। दोपहर को हंस अपने एक साथी के साथ लॉ विभाग की तरफ जा रहे थे।

इसी दौरान करीब छह से ज्यादा नकाबपोश हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। एक दो छात्र जब बचाव के लिए आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। अपनी जान बचाने के लिए जब हंस व उसके साथी लॉ विभाग की तरफ दोड़े तो हमलावरों ने गोली चला दी।

विश्वविद्यालय परिसर में फायरिंग की घटना के बाद अफरा–तफरी मच गई। विश्वविद्यालय के कर्मचारी व कुछ छात्रों ने जब हमलावरों को अपनी गिरफ्त में लेने का प्रयास किया। तब हमलावर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। आरोप है कि हमलावरों ने हंस पर हमला हत्या के इरादे से किया। लेकिन वह फायरिंग में बाल बाल बच गए।

हालाांकि हमलावरों ने उन्हें लाठी डंडों से पीट–पीट कर घायल कर दिया है। हंस के सिर व कंधे में गंभीर चोटे है। सीओ चौरसिया ने बताया की हमले की वजह अभी सामने नहीं आई है। जांच के बाद जल्द ही हमलावर पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

त्योहारों को लेकर सतर्कता का आदेश

बरेली, 1 मार्च (जनसत्ता)।

जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी ने इस बार होली और शब ए बारात एक ही दिन पड़ने के कारण राजस्व और पुलिस अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि होली दहन के परंपरागत स्थानों का अभी से निरीक्षण कर पुराने विवादों को निपटाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि जुलूसों की सुरक्षा व्यवस्था का भी बेहतर प्रबंध करने की अभी से तैयारी की जाए। उधर पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण का अभ्यास भी किया गया है।

पुलिस लाइन सभागार में आगामी त्योहारों होली और शब ए बारात पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुलाई गई बैठक में जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जाए। त्यौहार मनाते समय कहीं भी उत्साह और उल्लास को उद्दण्डता में परिवर्तित न होने दिया जाए। इसके लिए संभ्रांत नागरिकों का सहयोग भी जरूरी है। उन्होंने निकाय अधिकारियों को पीने के पानी और सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस उप महानिरीक्षक अखिलेश कुमार चौरसिया ने समस्त थानाध्यक्षों और क्षेत्राधिकारियों को शराब पीकर वाहन चलाने वालों के सख्ती से चालान करने के निर्देश दिए।

केंद्रीय बजट सभी के सपनों को पूरा करना वाला : महेंद्र नाथ पांडेय

चंदौली, 1 मार्च (जनसत्ता)।

केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय और चंदौली के सांसद ने कहा कि केंद्रीय बजट समाज गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने वाला व विकसित देश के विराट संकल्प की नींव का निर्माण करेगा। पांडेय भाजपा के कार्यालय पर मंगलवार की शाम पत्रकारों से वर्चुअल वार्ता करते यह बात बोले।

उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद अमृत काल का यह पहला बजट है, जोकि योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया है। बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2023–24 में पूंजी व्यय को 33 फीसद बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है, जोकि सकल घरेलू उत्पाद का 3.03 फीसद होगा। केंद्र सरकार ने गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दो लाख करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। वहीं मध्यम वर्ग के नौकरी, पेशा लोगों को टैक्स में छूट दी गई है। रेलवे को 2013 में मिलने वाले फंड से नौ गुना अधिक 2.40 लाख करोड़ का फंड दिया गया है।

व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या

अलीगढ़, 1 मार्च (भाषा)।

अलीगढ़ जिले के रोरावर क्षेत्र में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से प्रहार कर–के हत्या कर दी गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बुधवार को बताया कि रोरावर थाना क्षेत्र के महफूजपुर निवासी नूरुल हसन (52) की मंगलवार देर रात चाकू से प्रहार करके हत्या कर दी गई।

सिंह के मुताबिक, हसन के बेटे अली ने बताया कि शरीफ नामक व्यक्ति ने उसके पिता को शराब पीने के लिए बुलाया था। वह भी अपने पिता के साथ मौके पर गया था। बाद में दो और लोग भी आकर शराब पीने लगे। थोड़ी देर बाद शरीफ ने अली से वहां से जाने को कहा। अली ने कहा कि शोर सुनकर जब वह लौटकर आया तो अपने पिता का खून से लथपथ शव पाया। उसकी किसी धारदार हथियार से ताबड़तोड़ प्रहार करके हत्या की गई थी। उसने बताया कि शरीफ और उसके दोनों साथी मौके पर नहीं मिले।

मुठभेड़ के बाद दो गो तस्कर गिरफ्तार

बरेली, 1 मार्च (जनसत्ता)।

जिले के दो थानों भोजीपुरा और बिथरी चैनपुर की संयुक्त कार्रवाई ने पुलिस ने दो गो तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इनमें लम्बे समय से फरार 25 हजार रुपए का एक इनामी बदमाश शामिल है।

मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पुलिस ने तीनों घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना भोजीपुरा की पुलिस को मंगलवार की देरशाम मुखबिरों से सूचना मिली थी कि कुछ गोतस्कर थाना क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई दिखाई दे रहें है। उधर थाना बिथरी चैनपुर की पुलिस को भी सूचना मिली कि गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, गोवध अधिनियम और दूसरे अपराधों के 18 मुकदमों में वांछित इनामी बदमाश जफर उर्फ रमन कालिया को थाना भोजीपुरा क्षेत्र में देखा गया है। दोनों थानों की पुलिस ने सूचनाओं का आदान प्रदान करने के बाद संयुक्त कार्रवाई करते हुए सिद्धी विनायक कालेज के पीछे दीदार पट्टी गांव के जंगल में मंगलवार को आधी रात के बाद घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की गोली से कांस्टेबल देवेंद्र कुमार घायल हो गया।

पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जफर उर्फ रमन कालिया और तस्लीम को घायल करके गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशो के पैर में गोली लगी है। बदमाशों का तीसरा साथी भूरा मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। उसकी तलाश में पुलिस दबिंशे डाल रही है। भोजीपुर के प्रभारी निरीक्षक अजय पाल सिंह और बिथरी चैनपुर के प्रभारी निरीक्षक अश्विनी कुमार ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों के पास से दो तमंचे, कारतूस, बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल और पशु काटने के उपकरण व औजार बरामद किए है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उन्हें जेल भेजा जाएगा।

POONAWALLA HOUSING FINANCE Apna Ghar, Apni Pehchan

पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठवां तल, जीरो वन आईटी पार्क, सीरि. नं. 79/1, घोरपाड़ी, मुंधवा रोड, पुणे–411036

परिशिष्ट–IV (नियम 8(1) देखें)
अधिग्रहण सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) के उपरोक्त निगमित/पंजीकृत कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत ''उक्त अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक मांग सूचना निम्न दिनांकित निर्गत की थी, जिसमें निम्न ऋणकताओं को सूचना में अंकित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।
ऋणकर्तागण राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 की उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, 26 फरवरी 2023 को, अधिग्रहण कर लिया है।
ऋणकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, एक निर्धारित बकाया राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) के प्रभाराधीन होगा।
ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। अधिग्रहण में ली गई संपत्ति के विवरण यहां इसमें नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	ऋणकर्ताओं के नाम	संपत्ति का विवरण	अधिग्रहण किये जाने की तिथि	संवैधानिक मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना में राशि (रु.)
1.	शशिकांत, माया देवी, शुभाक्ष अनी कुमारी	बंधककृत संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो भूखंड अधिमापन 53.969 वर्ग मीटर के रूप में, जो खसरा सं. 2889 का भाग, बाराबंकी (अर्बन) नगर परिषद् नवाबगंज, वार्ड–गांधी नगर, ग्रीडगंज, बाराबंकी में स्थित तथा इस प्रकार परिसीमित हैः पूर्व– श्रीमती सावित्री देवी का भूखंड, पश्चिम– नाला, उत्तर– 9 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण– चुन्नी लाल का मकान।	26.02.2023	13.06.2022 – 21.06.2022	**ऋण सं.: HM/0043/H/17/100024** रु. 1052294.84/- (रुपये दस लाख बावन हजार दो सौ चौरानबे एवं चौरासी पैसे मात्र) जो 13–06–2022 के अनुसार, वसूली होने तक 13.05ः वार्षिक की दर पर ब्याज के साथ, भुगतानयोग्य है। तथा **ऋण सं.: HL/0043/H/18/100035** **रु. 705945.56/- (रुपये सात लाख पांच हजार नौ सौ पैंतालिस एवं छप्पन पैसे मात्र) जो 21–जून–2022 के अनुसार, वसूली होने तक 14% वार्षिक की दर पर ब्याज के साथ, भुगतानयोग्य है।**

स्थान : बाराबंकी, उ.प्र.
दिनांक : 02–03–2023

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

एक्सप्रेसवे पर 'लूप' बनाने की मांग कर रहे किसानों को रालोद का समर्थन

मोदीनगर, 1 मार्च (जनसत्ता)।

चुड़ियाला के पास मोहिउद्दीनपुर खरखोदा मार्ग पर एक्सप्रेसवे पर उतार चढ़ाव (लूप) की मांग को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन को रालोद नेताओं ने धरना स्थल पहुंचकर समर्थन दिया।

किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसान करीब एक पखवाड़े से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नही की है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश पर बुधवार को रालोद के जिलाध्यक्ष अमित त्यागी के नेतृत्व में रालोद का पच्चीस नेताओ का प्रतिनिधि मंडल ने किसानों को अपना खुला समर्थन दिया। धरने को संबोधित करते हुए रालोद नेता विनोद गौतम पूर्व सभासद ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसान सड़क पर है, जिनकी जमीन रास्ते के लिए अधिग्रहण की है उन्हें ही रास्ता नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, बुग्गी आदि को भी हाइवे पर प्रतिबंध लगा चुकी है। अन्न दाता, व मजदूरों के लिए सड़क पर चलने का अधिकार छीन रही है, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। धरने को समर्थन देने वालों में लोकदल के वरिष्ठ नेता ओ डी त्यागी, सतेंद्र तोमर, रणवीर दहिया, अजीत खंजरपुर, वीर सिंह, जयदीप, योगेंद्र पतला, देवेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, अशोक चौधरी, योगेश शर्मा आदि रहे। किसान संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष महावीर भड़ाना व पूर्व प्रधान गजेंद्र ने समर्थन देने के लिए रालोद नेताओं का आभार जताया।

बुधवार को हुई पंचायत में मुख्य रूप से किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष चरण सिंह शर्मा समिति के उपाध्यक्ष महावीर बढ़ाना जिला पंचायत सदस्य गोपाल प्रधान गजेंदर प्रधान अमित प्रधान रामचंद्र धर्मपाल सुखबीर सरपंच पुष्पेंद्र प्रधान बबलू शर्मा राजेश प्रधान भजन व अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।

POONAWALLA HOUSING FINANCE Apna Ghar, Apni Pehchan

पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व का मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठा तल, जीरो वन आईटी पार्क, क्रम सं. 79/1, घोरपड़ी, मुंधवा रोड, पुणे–411036
शाखा कार्यालय इकाईः प्रथम तल, साई स्क्वैयर, 16/116–ए3 (45), भार्गव एस्टेट, सिविल लाइन्स, कानपुर, उत्तर प्रदेश–208001

ई–नीलामी – बिक्री सूचना

ई–नीलामी बिक्री सूचना सरफैसी अधिनियम के तहत प्रतिभूत अचल आस्ति की बिक्री

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/सह–ऋणधारकों/गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लि. अब निगमन के प्रमाणपत्र के माध्यम से पूनावाला हाउसिंग फाइनांस लि. ('पीएचएफएल') के पास गिरवी नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका अधिनियम की धारा 13(4)/धारा 14 के अंतर्गत कम्पनी के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया था, की लागू ब्याज, चार्जेज तथा खर्चे आदि के साथ पीएचएफएल के बकाये की वसूली के लिये नीचे वर्णित शर्तों के अनुसार ई–नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी।
सम्पत्ति की बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियम (यहां के बाद नियमों वर्णित) के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत 'जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा उपचार–रहित आधार' पर होगी।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए पीएचएफएल/प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.poonawallahousing.com देखें।

प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम (A)	मांग सूचना की तिथि तथा बकाया राशि (B)	कब्जे की प्रकृति (C)	सम्पत्ति का विवरण (D)	आरक्षित मूल्य (E)	ईएमडी (आरपी का 10%) (F)	ईएमडी जमा करने की तिथि (G)	संविदा वृद्धि (H)	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय (I)	नीलामी की तिथि एवं समय (J)	ज्ञात ऋण भार/कोर्ट के मामले, यदि कोई हो, (K)
ऋण सं. HM/0045/H/18 / 100178 राहुल कुमार त्रिवेदी (कर्जदार) प्रतिष्ठा (सह–कर्जदार)	सूचना तिथि : 04.11.2022 कुल बकाया : 04.11.2022 तक बकाया देय रु. 1167027.59/– (रुपये ग्यारह लाख सड़सठ हजार सत्ताईस एवं उनसठ पैसे मात्र) तथा वसूली तक 16.25% वार्षिक की दर से ब्याज	भौतिक	प्लॉट नंबर 9 की गिरवी रखी गई संपत्ति का समस्त भाग, अराजी नंबर 559 के हिस्से में, मैथा कानपुर देहात मे स्थित, क्षेत्रफल 250 वर्ग गज, सीमाएं : पूर्वः 12 फीट रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 8, उत्तरः रज्जन अवथी का प्लॉट, दक्षिणः 12 फीट रोड।	रु. 2126250/– (रुपये इक्कीस लाख छब्बीस हजार दो सौ पचास मात्र)	रु. 2,12,625/– (रुपये दो लाख बारह हजार छः सौ पच्चीस मात्र)	10.04.2023 5 बजे अप से पूर्व	10,000/–	05.04.2023 (11 बजे पूर्वा–4 बजे अप.)	11.04.2023 (11 बजे पूर्वा–2 बजे अप.)	निल

अधिक विवरण एवं पूछताछ के लिए कृपया श्री इकबाल आलम, मोबाइल नं. 9958195453 पर सम्पर्क करें।

इच्छुक बोलीदाताओं से आग्रह है कि शाखा में जाकर नीलामी की संपत्ति निरीक्षण करें तथा प्रभारों, अधिभारों की जानकारी प्राप्त करें। क्रेता अपने स्वयं की पूछताछ करें तथा अतिरिक्त प्रभारों, अधिभारों तथा सभी दृष्टियों पर किसी भी तृतीय पार्टी के हितों की जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। सभी सांविधिक बकाए जैसे संपत्ति कर, बिजली बकाये तथा संपत्ति से जुड़ी अन्य बकाए, यदि कोई हो, का भुगतान सफल बोलीदाता/संभावित क्रेता को ही करना होगा।
इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को अनिवार्य रूप से ई–बिडिंग के लिए खुद को पंजीकृत करना होगा, और नीचे उल्लिखित नीलामी सेवा प्रदाता के वेब पोर्टल https://DisposalHub.Com पर ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और अग्रिम रूप से लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। मैसर्स नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड : – #203, दूसरी मंजिल, श्री श्याम पैलेस, सेक्टरः 4 एवं 5 क्रॉसिंग, रेलवे रोड, गुरुग्राम 122 006 (संपर्क नंबर +91 93100 29933/+91 98100 29926/+91 124 4 233 933), संपर्क क्लाइंट सेवा वितरण (सीएसडी) सेल नं. (मो) +91 93100 29933/+91 98100 29926 (दूरभाष)+91 1244233933. ईमेल आईडीः– CSD@DisposalHub.Com. इच्छुक बोलीदाता/खरीदार को 'पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड', आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से आहरित एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से खाता संख्याः 000651000460; आईएफएससी कोडः ICIC0000006, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता–700001 में 10/04/2023 तक जमा धरोहर राशि (ईएमडी) की राशि जमा करनी होगी। वेब पोर्टल पंजीकरण के बाद, इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को बोली दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करने, ई–मेल करने और अधिकृत अधिकारी, श्री शरीफ अहमद, पता–पहली मंजिल, साई स्क्वायर, 16/116– ए3, (45), भार्गव एस्टेट, सिविल लाइंस, कानपुर, उत्तर प्रदेश–208001 मोबाइल नं. +918840784993, ई–मेल आईडी sharif.ahmad@poonawallahousing.com को स्व–सत्यापित प्रति भेजने की आवश्यकता है।

स्थानः कानपुर (उ.प्र.)
तिथिः 02.03.2023

प्राधिकृत अधिकारी, पूनावाला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड
(पूर्व की मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड)

www.readwhere.com